(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–शिवपुरी R 1395-I-17

श्रीमती शिमला पत्नी श्री प्रमोद गोयल निवासी – बदरवास तहसील बदरवास जिला शिवपुरी (म.प्र.)

..... आवेदिका

विरूद्ध

वंशीलाल पुत्र हरचन्दा ग्वाल निवासी – बदरवास तहसील बदरवास जिला शिवपुरी (म.प्र.)

.....अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 18.5.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ बोर्ड 18/5/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार बदरवास द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/2016–17/अ–12 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

18/5/17

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदिका श्रीमती शिमला पत्नी गोयल एवं रामजीलाल पुत्र पन्नालाल गुप्ता द्वारा भूमि सर्वे नं. 1190 रकवा 0.105 है0, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.07.2001 द्वारा केन्द्रीय सरकारी बैंक मर्यादित बदरवास द्वारा रामेश्वर दयाल शर्मा पुत्र बद्रीप्रसाद शर्मा से क्रय की गयी थी।
2. यहकि, उपरोक्त भूमि के अलावा भूमि सर्वे नं. 1191 के संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रकरण चला है, और उसमें आदेश पारित किया गया है। किन्तु उपरोक्त आदेश की जानकारी आवेदिका को नहीं है और न ही उसे प्रकरण में पक्षकार ही बनाया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश की जानकारी होने पर प्रश्न ही नहीं है।
3. यहकि, अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बदरवास के समक्ष भूमि सर्वे क्रमांक 1190, 1191 का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसपर कलेक्टर भू–अभिलेख शाखा शिवपुरी को सीमांकन हेतु पत्र जारी किया गया एवं आदेश दिनांक 31.03.2017 को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1395–एक/17 जिला – शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-09-17	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार बदरवास जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 14/16–17/अ–12 में पारित आदेश दिनांक 31–3–17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार बदरवास परगना कोलारस ने दिनांक 20–12–2016 को नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में उनके साथ 5 अन्य लोगों का सीमांकन दल गठित किया गया जिसपर सीमांकन दल द्वारा दिनांक प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शिवपुरी ने दिनांक 20–3–2017 को सीमांकन किया गया तथा प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया है। तहसीलदार ने दिनांक 31–3–2017 ने सीमांकन की पुष्टि की है। सीमांकन पंचनामे से आवेदक का सीमांकन कार्यवाही प्रभावित होना प्रथमदृष्टया परिलक्षित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	